Date : 25 मार्च 2023

राहुल गांधी मानहानि केस

संदर्भ- न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी उपनाम पर 'चोर' टिप्पणी करने के कारण उन्हें **मानहानि के मामले में दोषी** पाया है। और दो साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 15000 रुपये के मुचलके पर गांधी की जमानत मंजूर कर ली है, और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिन तक निलंबित कर दिया गया है।
2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए **कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान** – "एक छोटा सा सवाल है- इन सब चोरों का नाम मोदी-मोदी कैसे है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे।"

याचिकाकर्ता- यह केस सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर किया गया है। उनका आरोप था कि यह सम्पूर्ण मोदी उपनाम वाले समाज का अपमान है।
मानहानि- किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के विरुद्ध गतिविधि या बयान मानहानि के अंतर्गत आता है। यह बयान किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, समाज, धर्म या राष्ट्र से संबंधित हो सकता है। भारत में किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना गैरकानूनी है। मानहानि दो प्रकार की हो सकती है- लिखित व प्रकाशित।

भारतीय संविधान में मानहानि के विरुद्ध प्रावधान-

संविधान का अनुच्छेद 19(2)-

संविधान में अनुच्छेद 19 **अभिव्यक्ति** की स्वतंत्रता पर आधारित है। और अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। अभिव्यक्ति की **स्वतंत्रता** के दुरुपयोग के कारण होने वाली मानहानि पर **प्रतिबंध** लगाया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता 499 में मानहानि से जुड़े कानून का प्रावधान है जिसमें मानहानि, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए दिए गए बयानों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है। मानहानि आमतौर पर उन व्यक्तियों द्वारा दायर की जाती जिनकी सार्वजनिक और प्रतिष्ठित छवि होती है। इसके तहत निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं-

- किसी मृत व्यक्ति की ख्याति की क्षति हो जो उसके जीवन्त अवस्था में अर्जित ख्याति या उसके परिवार की ख्याति को प्रभावित करती हो।
- किसी सामाजिक या व्यापारिक समूह की ख्याति को प्रभावित करती हो।
- व्यंग्य के रूप में की गई ऐसी अभिव्यक्ति जो किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाए।

मानहानि की सजा- मानहानि को जमानती या गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मानहानि साबित होने के बाद **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500** के अनुसार मानहानि के विरुद्ध सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत 2 वर्ष तक की सजा या आर्थिक दण्ड या दोनों दिए जा सकते हैं। जिसके तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। इस आरोप के सिद्ध होने के कारण सांसद के रूप में वे अयोग्य हो सकते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद के रूप में अयोग्य होने की स्थिति

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-** कोई भी व्यक्ति अयोग्य घोषित होने के तीन महीने तक अयोग्य घोषित नहीं होगा यदि उसने तीन महीने के अंतर्गत इसके विरुद्ध अपील न की हो।
- **लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय-** किसी भी मुकदमें में 2 या 2 से अधिक वर्ष तक की सजा पाए सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। किंतु सुप्रीम कोर्ट में सजा के विरुद्ध अपील करने पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

सांसद या विधायक के अयोग्य होने की अन्य स्थिति

अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार सांसद या विधायक-

- लाभ का पद धारण करना,
- दिमागी रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना या
- वैध नागरिकता न होना।

संविधान की 10वी अनुसूची दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकती है।

मानहानि न होने की दशा – आरोप, किसी व्यक्ति के लिए मानहानि नहीं कहा जा सकेगा जब तक –

- वह दूसरों की दृष्टि में किसी व्यक्ति, जाति या समूह की सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप या शील की उपेक्षा न करे।

- वह व्यक्ति की शाख को न गिराए।
- वह व्यक्ति को यह विश्वास न कराए कि उसका शरीर घृणित दशा में है।
- यह साबित न हो कि व्यक्ति ने किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान इरादतन पहुँचाया था।

अतः राहुल गांधी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि हेतु याचिका दायर कर निर्दोष साबित होने पर सांसद सदस्यता की अयोग्यता को खारिज कर सकते हैं।

स्रोत

इण्डियन एक्सप्रैस

https://legislative.gov.in/sites/default/files/H195143.pdf

hindi.lawrato.com

Gunjan Joshi

अनुदान की मांग

संदर्भ- हाल ही में लोकसभा ने बजट 2023-24 की अनुदान मांगों व विनियोग विधेयक को बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया।

संसदीय अनुदान- भारत में यह विधि द्वारा स्थापित है कि बिना किसी कानून के देश की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। संचित निधि से कानून के माध्यम से प्राप्त अनुदान को संसदीय अनुदान कहा जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय के वे अनुमान जो इस निधि पर भारित नहीं होते **अनुदान की मांग** के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाते हैं। लोकसभा को यह अधिकार है कि वह इस विधेयक को पूर्ण अनुमति दे अथवा न दे या धन की मात्रा को कम करके अनुमति दे।

अनुच्छेद 117 व 274 के अनुसार लोकसभा में धन विधेयक को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।

अनुदान की मांग में व्यय-

- अनुदान की मांग में भारित(चार्ज) और मतदान दोनों व्यय शामिल हैं। भारित किए गए व्यय को भारत सरकार की देनदारियों के रूप में माना जाता है जैसे कि ब्याज का भुगतान और लोकसभा में मतदान के लिए नहीं रखा जाता है।
- व्यय की दूसरी श्रेणी मतदान व्यय है जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में एक सरकारी योजना पर किए जाने वाले राजस्व और पूंजीगत व्यय शामिल हैं। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय के लिए

अनुदान की एक मांग होती है, लेकिन वित्त और रक्षा जैसे बड़े मंत्रालयों की अनुदान की एक से अधिक मांगें होती हैं।

अनुदान की मांग तैयार करने की प्रक्रिया- हर मंत्रालय द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले खर्च के लिए अनुदान की मांग तैयार की जाती है। इन मांगों को सामूहिक रूप से लोकसभा में केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में लागू किया जाता है। इसे दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है।

- सबसे पहले, यह प्रभारित व्यय और स्वीकृत व्यय को स्पष्ट रूप से अलग करता है
- यह व्यय को पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के रूप में भी वर्गीकृत करता है
- जब पूंजीगत व्यय के परिणामस्वरूप सरकार के लिए किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण होता है, राजस्व व्यय प्रकृति में कार्यात्मक हो जाता हैं।
- इन सब के साथ अनुदान की मांग कुल व्यय का सकल अनुमान भी देती है।

विनियोग विधेयक

- सरकार द्वारा संचित धन से सकल निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयुक्त विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है।
- संविधान के अनुच्छेद 266 में संसद की संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। भारत सरकार की सम्पूर्ण आय संचित निधि में जमा होती है। व्यय के लिए संसद की अनुमति से ही संचित निधि से धन लिया जा सकता है।
- यह विधेयक, सरकार को मांगों के आधार पर देश के संचित धन को उपयोग करने का अधिकार देता है।
- विनियोग विधेयक के तहत राजस्व लेखा के तहत खर्च, राजस्व लेखेतर पूँजी खर्च, ऋण शीर्ष के खर्च का ब्यौरा होता है।
- यह विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक है जो अन्य विधेयक की भांति संसद में पेश किया जाता है।
- विनियोग विधेयक पारित होने के बाद यह विनियोग अधिनियम कहलाते हैं।

धन विधेयक की प्रक्रिया-

- विधेयक को राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किसी मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।
- लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है।
- राज्यसभा को इसे अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है बल्कि इसमें संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकता है।
- राज्यसभा विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है।
- राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है किंतु पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

विनियोग विधेयक से पूर्व अनुदान की मांग

- विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले लोकसभा, सरकार की आवश्यकतानुसार लेखानुदान के माध्यम से सरकार के व्यय के लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करती है।
- जब किसी वित्त वर्ष में किसी योजना अथवा सेवा पर प्राप्त अनुदान से अधिक धन व्यय हो गया हो तो राष्ट्रपति योजना के अतिरिक्त व्यय के लिए अनुदान की मांग करता है।

स्रोत

इण्डियन एक्सप्रैस

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com